

सीसीआरटी क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में दिनांक 17 से 28 फरवरी, 2025  
तक 499वां एन.ई.पी. - 2020 के अनुरूप अनुस्थापन पाठ्यक्रम  
में पहले आओ पहले पाओ के आधार  
पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत व्याख्याताओं की सूची

क्रं सं	व्याख्याता का नाम	राज्य	दिनांक
1.	सुश्री इंदु	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
2.	डॉ.जितेंद्र कुमार देसवाल	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
3.	डॉ. पंकज कुमार	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
4.	डॉ. विकास कुमार	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
5.	डॉ. हरीश कुमार	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
6.	डॉ. सुशील कुमार शर्मा	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
7.	श्री कुलवीर सिंह	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
8.	डॉ. सुरेंद्र कुमार	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
9.	डॉ.जसवंत सिंह	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
10.	श्री जोगेन्द्र सिंह	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
11.	सुश्री श्रुति	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
12.	श्री दिनेश कुमार	हरियाणा	19 दिसम्बर, 2024
13.	सुश्री रश्मी रेखा राजखोवा	असम	26 दिसम्बर, 2024
14.	श्रीमती अपराजिता कौशिक	असम	27 दिसम्बर, 2024
15.	सुश्री संताना देवी	असम	31 दिसम्बर, 2024
16.	श्रीमती निशा रानी	उत्तर प्रदेश	31 दिसम्बर, 2024
17.	डॉ. रवि कुमार चौरासिया	उत्तर प्रदेश	02 जनवरी, 2025
18.	डॉ. राकेश कुमार	उत्तर प्रदेश	03 जनवरी, 2025
19.	श्री मनीष कुमार प्रजापति	उत्तर प्रदेश	07 जनवरी, 2025

20.	श्री सोवन घोष	पश्चिम बंगाल	08 जनवरी, 2025
21.	श्री प्रदीप्ता रजक	पश्चिम बंगाल	08 जनवरी, 2025
22.	श्री सोवन भट्टाचार्य	पश्चिम बंगाल	08 जनवरी, 2025
23.	श्री सुदीप मित्रा	पश्चिम बंगाल	08 जनवरी, 2025
24.	श्री संतोष कुमार सरो	उत्तर प्रदेश	08 जनवरी, 2025
25.	डॉ. निशा कटोच	हिमाचल प्रदेश	08 जनवरी, 2025
26.	श्री रियाजहमद मुल्तानी	कर्नाटक	09 जनवरी, 2025
27.	श्री राजेश मौर्य	उत्तर प्रदेश	10 जनवरी, 2025
28.	श्री गपुरसाब एम सैय्यद	कर्नाटक	13 जनवरी, 2025
29.	श्री बी.एम. मेटालिया	गुजरात	16 जनवरी, 2025
30.	डॉ. नरेंद्रसिंह पी. गोहिल	गुजरात	16 जनवरी, 2025
31.	श्री मोहिंदर डी. राजपुरोहित	गुजरात	16 जनवरी, 2025
32.	श्री पुनित कुमार	हिमाचल प्रदेश	16 जनवरी, 2025
33.	श्री विकास कुशवाह	उत्तर प्रदेश	17 जनवरी, 2025
34.	श्री बलबीर सिंह	हिमाचल प्रदेश	18 जनवरी, 2025
35.	श्री ठाकुरलाल मालवीय	मध्य प्रदेश	20 जनवरी, 2025
36.	श्री एस. बालाजी	तमिलनाडु	24 जनवरी, 2025
37.	श्री आर. शनमुगम	तमिलनाडु	24 जनवरी, 2025
38.	डॉ. जे. राजराजेश्वरी	तमिलनाडु	24 जनवरी, 2025
39.	श्रीमती वी.जे. थमराई सेल्वी	तमिलनाडु	24 जनवरी, 2025
40.	डॉ. सैयदा नसीफ़ा इस्लाम	असम	24 जनवरी, 2025
41.	डॉ भगवान दास	असम	24 जनवरी, 2025
42.	सुश्री रुचिरा गुप्ता	असम	24 जनवरी, 2025

43.	डॉ. पी.टी. जी श्रीनिवासचार्युलु	आंध्र प्रदेश	28 जनवरी, 2025
44.	श्री लुक्कु रामकृष्ण राव	आंध्र प्रदेश	28 जनवरी, 2025
45.	श्री पी. दुर्गा प्रसाद	आंध्र प्रदेश	29 जनवरी, 2025
46.	सुश्री छवि चम्पलिया	हिमाचल प्रदेश	29 जनवरी, 2025
47.	श्री के. विजयचंद्र	आंध्र प्रदेश	30 जनवरी, 2025
48.	सुश्री यशवन्ती	उत्तर प्रदेश	04 फरवरी, 2025
49.	श्री ऋषि रंजन कुमार	बिहार	05 फरवरी, 2025
50.	सुश्री उमा सोनकिया	मध्य प्रदेश	06 फरवरी, 2025
51.	सुश्री ज्योति कुमारी	कर्नाटक	08 फरवरी, 2025

यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उपरोक्त शिक्षक जिन्हें उनके संबंधित राज्य शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्त किया गया है, उन्हें नीचे उल्लिखित दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा:

- व्याख्याताओं की आयु 55 वर्ष तक होनी चाहिए।
- प्रतिनियुक्त व्याख्याता के पास अध्यापन का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए।
- संविदा/तदर्थ/अस्थायी आधार पर कार्यरत व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति न की जाये।
- जो व्याख्याता पहले ही दिल्ली या कहीं और सीसीआरटी के ओरिएंटेशन कोर्स में भाग ले चुके हैं, उन्हें दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पढ़ाने वाले व्याख्याताओं की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। विशेष रूप से विकलांग व्याख्याता (दृष्टि बाधित) को भी प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- डाईट/शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्राचार्यों/विद्यालय निरीक्षकों को भी अपनी प्रतिनियुक्ति नहीं करानी चाहिए।
- एक संस्थान से केवल एक व्याख्याता को ही प्रतिनियुक्त किया जाए, एक ही संस्थान से एक से अधिक व्याख्याता को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

कार्यक्रम के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यक्रम के अंतिम दिन टीए के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा: -

- (i) जन्मतिथि का प्रमाण
- (ii) डाईट/शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र/
- (iii) मूल वेतन प्रमाण पत्र

- (iv) दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- (v) रद्द किया गया चेक/पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी
- (vi) टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।